ई-वेस्ट : पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती

ई-वेस्ट क्या है?

वर्तमान समय को आई.टी. युग एवं कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें आमजन द्वारा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि का उपयोग दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटाइजेशन (Digitization) के इस युग में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, संस्थान, दुकान आदि पर आई.टी. व कंप्यूटर संबंधी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, बदलती जीवनशैली में घरेलू उपकरण जैसे – टी.वी., वाशिंग मशीन, फ्रिज, टोस्टर, एयर कंडीशनर इत्यादि का उपयोग करने की प्रवृत्ति न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल उत्पादों की आयु पूर्ण होने (End of Life), उनके खराब होने एवं तकनीकी में परिवर्तन होने की स्थिति में इनका उपयोग करना बंद कर दिया जाता है। इन्हीं नकारा एवं बेकार उपकरणों को ई-वेस्ट कहा जाता है।

ई-वेस्ट का मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव;

खराब इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल उपकरणों को आम तौर पर लोग कबाड़ी द्वारा घरेलू कचरे के साथ निस्तारित कर देते हैं, जिससे ई-वेस्ट अनाधिकृत व्यक्तियों तक पहुँच जाता है। इनके द्वारा ई-वेस्ट को गैर-वैज्ञानिक रूढ़िवादी तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। ई-वेस्ट में हानिकारक धातुएँ जैसे – सीसा (Lead), पारा (Mercury), निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक इत्यादि एवं कई प्रकार के विषैले रसायन भी मौजूद होते हैं।

अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ई-वेस्ट को जलाने अथवा एसिड से धोने पर हानिकारक धातुएँ एवं विषैले रसायन वायु एवं जल के साथ प्रवाहित / उत्सर्जित होकर मिट्टी, जल एवं वायु को दूषित करते हैं। ये प्रदूषक तत्व खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों एवं कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं।

ई-वेस्ट कैसे मूल्यवान है?

ई-वेस्ट में हानिकारक मेटल्स के अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुएँ भी होती हैं। यदि ई-वेस्ट को अधिकृत ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा पुनः चक्रित किया जाए, तो न केवल हानिकारक एवं विषैले तत्वों के जल एवं वायु में उत्सर्जन को रोका जा सकता है, बल्कि इन मूल्यवान धातुओं की रिकवरी भी पर्यावरणीय अनुकूल विधियों द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण से मूल्यवान धातुओं को पर्यावरण अनुकूल विधियाँ अपनाकर ई-वेस्ट से अलग कर, माइनिंग व अन्य प्रदूषक प्रक्रियाओं से भी बचा जा सकता है एवं उक्त प्रयास से "सर्कुलर इकोनॉमी" को बढ़ावा भी मिलता है।

हमें जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या करना चाहिए?

हमारे घरों / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नकारा / खराब इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल उत्पादों को कबाड़ी वाले / अनाधिकृत व्यक्तियों को न देकर, अधिकृत /रिसाइक्लर / कलेक्शन सेंटर्स पर सुपुर्द किया जाना चाहिए। जिससे ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरणीय अनुकूल विधियों द्वारा पुनः चक्रण कर मूल्यवान धातुओं की प्राप्ति की जा सके।